भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 2884

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसान पहचान-पत्र के लिए पंजीकरण

2884. श्री बापी हलदरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान पहचान-पत्र (आईडी) हेतु पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उन किसानों के लिए किसी वैकल्पिक पद्धति की योजना बनाई है जो विभिन्न दस्तावेजों में नाम की भिन्नता जैसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण किसान आईडी प्राप्त करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। किसान आईडी को उन 19 राज्यों में पीएम-किसान के तहत केवल नए पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जहां किसान रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है। जिन राज्यों में अभी तक किसान रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना किसान आईडी के पंजीकरण करा सकते हैं.

(ख) और (ग): विभिन्न दस्तावेजों में नाम की भिन्नता जैसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण किसानों को लाभ का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पात्र किसान को बाहर न रखा जाए, सरकार ने मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण सहित विभिन्न किसान पंजीकरण मोड को सक्षम किया है। इसके अतिरिक्त, एक शिकायत तंत्र मौजूद है जिसके माध्यम से किसान भूमि या नाम में भिन्नता से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं जो उन्हें किसान आईडी के लिए पंजीकरण मोड्स उपलब्ध करवाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं कि जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं है, वे भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे किसान मौजूदा सहायता सुविधाओं जैसे कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) और ब्लॉक तथा तहसील स्तर पर राज्य सरकार के कार्यालयों का उपयोग करके सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

******